


# फर्द अहकाम

11

उप जिला कलेक्टर  
गंगापूर सिटी

रामरति लैण्ड होल्डर

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट नं० 4/22 सन् 2022/45

दिख क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>2.02.22 यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रार्थिया रामरति पुत्री सरवण पत्नी नरसीराम जाति राणा निवासी उमरी तह0 गंगापूर सिटी की ओर से श्री सतीश कुमार शर्मा एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया गया। प्रार्थिया के वकील को सुना गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार गंगापूर सिटी को प्रार्थना पत्र की प्रति भिजवाकर प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट चाही जावे एवं अप्रार्थी की तलबी जरिए नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 15.2.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उप जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी (सं०मा०)</p> <p>15/2/22 वकील श्री उषा अश्विनी लोखंडेकर से रिपोर्ट चाही जाकर पत्र दि० 22/3/22 में पेश हो।</p> <p>12-3-2022 पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। प्रार्थिया के वकील एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापूर सिटी उपस्थित हैं। अप्रार्थी तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार रामपती का सही नाम रामरती है। इस रिपोर्ट के अनुसार नाम दुरुस्ती किस जाने पर दोनों पक्ष सहमत हैं। अतः प्रा०पत्र 136 L.R. Act. स्वीकार किया जाकर ग्राम उमरी की जमाबंदी सं० 2073 से 2076 खाता सं० 404 खात नं० 871 में दर्ज नाम रामपती पुत्री सरवण के स्थान पर रामरती पुत्री सरवण दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। पालना हेतु तहसीलदार गंगापूर सिटी को लिखा जावे। पत्रावली पैसल शुमार हो।</p>	

उप जिला कलेक्टर  
गंगापूर सिटी (सं०मा०)